कार्यकारी सारांश

1. प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है ।

2. लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

2.1 राजकोषीय स्थिति

राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन मुख्य मापदंडों के संदर्भ में देखा जाता है–राजस्व घाटा/आधिक्य, राजकोषीय घाटा/आधिक्य तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋणों का अनुपात।

मार्च 2021 के अंत तक ₹6,856.66 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में, मार्च 2022 के अंत तक राज्य का राजस्व आधिक्य ₹4,642.02 करोड़ था। हालांकि, वैधानिक प्रावधानों के गलत वर्गीकरण/गैर–अनुपालन के प्रभाव को समायोजित करने के बाद राजस्व आधिक्य लेखापरीक्षा द्वारा ₹2,082.42 करोड़ परिकलित किया गया। राजस्व आधिक्य राज्य होने के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र के व्यय को दी जाने वाली वित्तीय प्राथमिकता 40.72 प्रतिशत (2017–18) से घटकर 36.56 प्रतिशत (2021–22) हो गई और चालू वर्ष के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी। 2021–22 में बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में महत्वपूर्ण कमी प्रमुख शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा (₹2069 करोड़), 2215–जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹488 करोड़) और 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹281 करोड़) के तहत देखा गया था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (1.52 प्रतिशत) के सापेक्ष राजकोषीय घाटा राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर था। सरकार द्वारा बजट में अनुमानित राजस्व और पूंजीगत व्यय से कम राजस्व और पूंजीगत व्यय के कारण राजकोषीय घाटा लक्ष्य के भीतर रहा। राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता 2021–22 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 2021–22 के दौरान कम दर से बढ़ा। 2021–22 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए बकाया ऋण का प्रतिशत 2020–21 में 25.44 प्रतिशत से घटकर 22.77 प्रतिशत हो गया और छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत एमटीएफपीएस (28.34 प्रतिशत) और पंद्रहवां वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य के अंदर था।

(प्रथम अध्याय)

2.2 राज्य के वित्त

राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान 26.08 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। स्वयं के कर राजस्व में 18.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई और करेत्तर राजस्व में 94.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बजटीय अनुमानों में प्रत्याशित स्तर को प्राप्त किया। राज्य को भारत सरकार से केंद्रीय करों और शुल्कों का राज्य के हिस्से एवं सहायता अनुदान से आने वाले 49 प्रतिशत राजस्व पर निर्भर रहना जारी रहा।

राजस्व व्यय, जो कुल व्यय का 87 प्रतिशत है, पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान 7.11 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 16.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कुल व्यय में

इसका हिस्सा केवल 12 प्रतिशत था। जबकि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 18.75 प्रतिशत था, पूँजीगत व्यय वर्ष 2021–22 में जीएसडीपी का 2.63 प्रतिशत था।

राज्य शासन ने ₹4,667.24 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 148 अपूर्ण परियोजनाओं (₹10 करोड़ से अधिक की लागत) में से, ₹2,255.66 करोड़ की लागत वृद्धि वाली 49 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत में संशोधन किया है। राज्य शासन ने 99 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया था।

2021–22 के दौरान, छत्तीसगढ़ सरकार ने ₹463.57 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता के विरुद्ध संचित निक्षेप निधि में ₹300.00 करोड़ हस्तांतरित किए, जिसके परिणामस्वरूप ₹163.57 करोड़ का कम योगदान हुआ।

2020–21 में 40 प्रतिशत (₹8,645.96 करोड़) के मुकाबले 2021–22 में उधार और ब्याज के पुनर्भुगतान के बाद राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण का प्रतिशत घटकर पांच प्रतिशत (₹799.18 करोड़) हो गया। राज्य की निवल ऋण उपलब्धता में कमी ऋण चुकाने के बढ़ते बोझ की ओर संकेत करती है और राज्य को विकास गतिविधियों के लिए सीमित धन उपलब्धता के साथ छोड़ती है।

राज्य शासन को वर्ष 2021–22 से 2031–32 तक आंतरिक ऋण के विरूद्ध ₹79,294.17 करोड़ तथा केंद्र सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिमों के विरूद्ध ₹2,248.43 करोड़ का मूल भुगतान तथा बाजार ऋण पर बकाया ₹24,607.46 करोड़ का ब्याज अदा करना होगा।

2021–22 के अंत में राज्य शासन का कुल बकाया ऋण (लोक खाता देनदारियों सहित) ₹8,074.15 करोड़ के बैक टू बैक ऋण को छोड़कर ₹91,098.74 करोड़ होगा।

(द्वितीय अध्याय)

2.3 बजटीय प्रबंधन

हालांकि, पिछले वर्ष (81.22 प्रतिशत) की तुलना में 2021–22 के दौरान बजटीय निधियों के उपयोग का प्रतिशत (87.37 प्रतिशत) बढ़ा है, लेकिन राज्य सरकार की बजटीय धारणाएं 2021–22 के दौरान यथार्थवादी नहीं थीं और बजट के निष्पादन और निगरानी पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दो अनुदानों (वित्त विभाग और धार्मिक न्यास और बंदोबस्ती विभाग) और तीन विनियोगों (वित्त विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग और सार्वजनिक ऋण) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्राधिकरणों पर ₹4,059.76 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के अनुसार नियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, 2000–01 से 2020–21 तक नियमितीकरण के लिए कुल ₹13,376.63 करोड़ रुपये लंबित हैं।

बिना पर्याप्त कारण के अनुपूरक अनुदान/विनियोजन किये गये। बचतों को न तो समय पर अभ्यर्पित किया गया और न ही आवंटनों की तुलना में व्यय भिन्नता के लियें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। सतत् बचत के प्रति विभागों को आगाह नहीं किया गया, न ही उनके बजट में आवंटन को अवशोषित करने की क्षमता में परिवर्तन पाया गया ।

(तृतीय अध्याय)

2.4 लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित धनराशि के लिए विभागों द्वारा विस्तृत आकस्मिक देयकों को जमा नही करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लेखों को प्रस्तुत नहीं करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों और

दोषपूर्ण निगरानी तंत्र को दर्शाता है और अपव्यय/दुर्विनियोजन/कदाचार आदि के जोखिम/संभावना को बढ़ाता है।

31 मार्च 2022 तक, अंतिम शेष ₹1,404.38 करोड़ के साथ 139 व्यक्तिगत जमा खातें अस्तित्व में थें। व्यक्तिगत जमा खातों के अंतर्गत ₹1,404.38 करोड़ के अंतिम शेष में से ₹1,148.87 करोड़ भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि का लाभार्थियों में संवितरण न करने के कारण थे। व्यक्तिगत खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की संचित निधि में अंतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का खतरा होता है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियाँ (₹7,427.94 करोड, कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.33 प्रतिशत) एवं अन्य व्यय (₹1,137.59 करोड़, ₹85,514.23 करोड की कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 1.33 प्रतिशत) के संचालन में वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता प्रभावित हुआ एवं आवटंन प्राथमिकताओं और व्यय की सार्थकता का सही विशलेषण भी धूमिल हुआ।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आकड़ों के साथ राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियाँ एवं व्यय का मिलान न किया जाना शासन की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को उजागर करता है ।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आवंटित ₹409.70 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले, बोर्ड केवल ₹92.24 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका, जिससे शेष ₹317.46 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रह गए, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए। आगे, वर्ष 2021–22 के दौरान पंजीकृत श्रमिकों का केवल 18 प्रतिशत को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभावित्त किया गया।

31 मार्च 2022 तक बकाया ₹99,172.89 करोड़ की कुल बजटीय देनदारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार की शुद्ध ऑफ बजट देनदारी ₹3,872.80 करोड़ है। छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ली गई ऋण से संबंधित अपनी देयताओं को अपने बजट में परिलक्षित नहीं किया है।

(चतुर्थ अध्याय)

2.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2022 की स्थिति में, एक सांविधिक निगम सम्मिलित करते हुए 30 पीएसयूज थे। 30 में से दो निष्क्रिय पीएसयूज हैं। 28 कार्यरत पीएसयूज में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम), जिनके लेखें 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में दो या कम वर्षों के लिए बकाया थे, को वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण हेतु सम्मिलित किया गया है।

पीएसयूज के अद्यतन लेखों एवं प्रदत्त सूचना के अनुसार इन्होंने ₹42,147.03 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया जो कि छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी के 10.53 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2022 की स्थिति में केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य का इन 30 पीएसयूज में पूँजी और दीर्घावधि ऋणों में निवेश ₹20,391.67 करोड़ था।

25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 11 पीएसयूज ने 2021–22 में ₹932.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 11 पीएसयूज ने ₹439.99 करोड़ की हानि वहन की एवं तीन पीएसयूज ने न तो लाभ और न ही हानि प्रतिवेदित की। लाभ में प्रमुख योगदान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹570.38 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड *(₹153.90 करोड़) द्वारा दिया गया और छत्तीसगढ़ राज्य*

विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने सर्वाधिक हानि (₹419.77 करोड़) वहन की। केवल दो पीएसयूज छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹3.03 करोड़ एवं ₹0.81 करोड़ के लाभांश की घोषणा की।

30 पीएसयूज द्वारा प्रतिवेदित कुल संचित हानि ₹4,163.97 करोड़ थी, परिणामतः 31 मार्च 2022 की स्थिति में निवल मूल्य क्षरित होकर ₹2,900.11 करोड़ हो गया। एक पीएसयू नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), जिसने वर्ष 2021–22 के दौरान ₹419.77 करोड़ की हानि वहन की, ने 31 मार्च 2022 की स्थिति में ₹7,710.10 करोड़ की कुल संचित हानि प्रतिवेदित की।

केवल छह पीएसयूज के वर्ष 2021–22 के वित्तीय विवरण समय पर प्राप्त हुए। 24 पीएसयूज लेखों को समयानुसार प्रस्तुत करने में विफल रहे अतः इन पीएसयूज से संबंधित 40 लेखें बकाया थे।

सीएजी की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप, वित्तीय विवरणों में लाभप्रदता और परिसंपत्तियों/देयताओं को प्रभावित करने वाली गलतियों पर प्रकाश डालने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जारी की गयी थी।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदनों में पायी गई अनियमिताएं एवं कमियाँ, जो महत्वपूर्ण नहीं थी, को सुधारात्मक कार्यवाई करने हेतु तीन पीएसयूज के प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से सूचित किया गया।

(पंचम अध्याय)